3/यो0स०क०-25/2022 78

बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग

पत्र संख्या-

स्वीकृत्यादेश
(संख्या /2026-27)

प्रेषक,

सुशील कुमार,
संयुक्त सचिव,

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक - 07-8-26

विषयः- **मुख्यमंत्री सामाजिक सहायता एवं प्रोत्साहन छत्र योजना के अन्तर्गत लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत वितीय वर्ष 2026-27 में प्राप्त बजटीय उपबंध रू० 73971.00 लाख (सात सौ उनचालीस करोड एकहत्तर लाख) मात्र के अतिरिक्त राशि की व्यय की स्वीकृति।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि समाज कल्याण विभाग के ज्ञापांक 5725 दिनांक 27.11.2017 के क्रम में राज्य सरकार द्वारा विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं, मृत्यु अनुदान योजनाओं, विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना एवं अन्य सामाजिक सहायता योजनाओं का संचालन, मुख्यमंत्री सामाजिक सहायता एवं प्रोत्साहन छत्र योजना के अधीन कार्यान्वित करने का निर्णय लिया गया है। राज्य सरकार के संकल्प सं0- 1528 दिनांक-25.06.2025 के द्वारा पेंशन की राशि माह जून 2025 से रू० 400/- प्रतिमाह से बढाकर रू० 1100/- प्रतिमाह किया गया है। वितीय वर्ष 2026-27 में लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना अन्तर्गत विभागीय पत्रांक 32 दिनांक 13.04.2026 द्वारा रू० 21050.00 लाख एवं पत्रांक 60 दिनांक 09.06.2026 द्वारा रू० 31673.34 लाख के व्यय की स्वीकृति पूर्व में प्रदान की गई है। अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के आलोक में प्रथम अनुपूरक से प्राप्त रू० 73971.00 लाख (सात सौ उनचालीस करोड एकहत्तर लाख) मात्र के अतिरिक्त राशि की व्यय की स्वीकृति निम्न प्रकार दी जाती है-

(राशि रू. लाख में)

क्र0	योजना का नाम	विपत्र कोड	विषय शीर्ष	पूर्व में स्वीकृत राशि	अतिरिक्त स्वीकृत राशि
1	2	3	4	5	6
1	लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना – सामान्य घटक	(51-2235601020105)	0105.31.06	41752.47	61058.00
2	लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना – विशेष घटक	(51-2235607890102)	0102.31.06	10970.87	12913.00
कुल (सात सौ उनचालीस करोड एकहत्तर लाख)					73971.00

2 स्वीकृत राशि की निकासी एवं व्ययन हेतु सामाजिक सुरक्षा निदेशालय (मुख्यालय) स्तर पर निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, जिला स्तर पर सभी सहायक निदेशक/प्रभारी सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी घोषित हैं।

3. उक्त स्वीकृत राशि के विरूद्ध सामाजिक सुरक्षा निदेशालय द्वारा निर्गत आवंटनादेश के आधार पर ही राशि की निकासी एवं व्ययन किया जायेगा। इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु बिहार वित्तीय नियमों का पालन करने की जिम्मेवारी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

4. राशि की निकासी एवं व्ययन वित्त विभाग के पत्रांक – 12888/वि0 दिनांक-03.12.2024, 236/वि० दिनांक 09.03.2026, 2956/वि0 दिनांक 25.03.2026, 314/वि० दिनांक 01.04.2026 926/वि० दिनांक 31.07.2026 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य अनुदेशों/परिपत्रों के अनुसार किया जायेगा।

5. स्वीकृत्यादेश पर संचिका संख्या-3/यो0स०क०-25/2022 के टिप्पणी पृष्ट संख्या-30/टि0 पर दिनांक-05.08.2026 को आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

6. यह स्वीकृत्यादेश संचिका संख्या-3/यो0स०क०-25/2022 के टिप्पणी पृष्ट संख्या- 30/टि0 पर दिनांक-06.08.2026 को अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग के अनुमोदनोपरान्त निर्गत की जा रही है।

7. यह चालू योजना है। अतः महालेखाकार, बिहार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

विश्वासभाजन

7/8/26

संयुक्त सचिव,

ज्ञापांक- 3/यो0स०क०-25/2022 /.....78....../दिनांक- 07.8.26

प्रतिलिपि -महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव, योजना एवं विकास विभाग/संयुक्त सचिव, वित्त विभाग (बजट शाखा)/विशेष कार्य पदाधिकारी, समाज कल्याण विभाग (बजट शाखा)/निदेशक, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/वरीय प्रशासी पदाधिकारी, सक्षम, अपना घर, बेली रोड, पटना/सभी सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

7/8/26

संयुक्त सचिव,

ज्ञापांक- 3/यो0स०क०-25/2022 /.....78....../दिनांक- 07-8-26

प्रतिलिपि -कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

7/8/26

संयुक्त सचिव,

ज्ञापांक- 3/यो0स०क०-25/2022 /.....78....../दिनांक- 07.8-26

प्रतिलिपि –विभागीय आई०टी० मैनेजर, को सूचनार्थ एवं स्वीकृत्यादेश की प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

7/8/26

संयुक्त सचिव,